षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-21 सोमवार, दिनांक-02 अप्रील, 2018 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.08 बजे पूर्वाह्न तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही कई माननीय सदस्यों द्वारा एस०सी०/एस०टी० एक्ट का मामला उठाया गया ।

माननीय नेता, विरोधी दल द्वारा भी इसी संदर्भ में अपना पक्ष रखा गया ।

विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य श्री श्रवण कुमार द्वारा नियम के तहत विषय को उठाने की बात कही गयी ।

"आसन द्वारा कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत यह विषय कई दिनों से सदन में उठाया जा रहा है । इस सदन या इस सरकार के क्षेत्राधिकार के बाहर की बात है । उच्चतम न्यायालय को अपने आदेश पर पुनर्विचार करना है, इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात भी सामने आई है । साथ ही विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध भी किया गया ।"

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02.15 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[1] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

(i) माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'', जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(ii) माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे

(खंड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात्, उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो" पर सदन की सहमति हुई ।

(iii) वाणिज्य-कर विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् निर्गत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-255, 256, दिनांक-24.10.2017 / एस०ओ०-257, 258, दिनांक-30.10.2017 / एस०ओ०-263, 264, दिनांक-08.11.2017 / एस०ओ०-267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, एवं 280, दिनांक-14.11.2017 / एस०ओ०-281, 282, दिनांक-16.11.2017 / एस०ओ०-294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 एवं 301, दिनांक-22.11.2017 / एस०ओ०-131, 137, दिनांक-25.01.2018 / एस०ओ०-02, दिनांक-02.01.2018 / एस०ओ०-123, 124, 125, 126, दिनांक-23.01.2018 / एस०ओ०-129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, दिनांक-25.01.2018 / एस०ओ०-140, दिनांक-31.01.2018 / एस०ओ०-141, 142, दिनांक-03.02.2018 एवं एस०ओ०-144, दिनांक-06.02.2018 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया और यह 30 (तीस) दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा ।

(iv) वाणिज्य-कर विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा-10(4) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-38) के निर्गत अधिसूचना संख्या-261 एवं 262, दिनांक-07.11.2017 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया और यह 14 (चौदह) दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा ।

(v) वाणिज्य-कर विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-139, दिनांक-30.01.2018 एवं एस.ओ.-143, दिनांक-05.02.2018 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया और यह 14 (चौदह) दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा ।

(vi) समाज कल्याण विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा द्वारा बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा नियमावली, 2004 / बिहार बाल संरक्षण सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2014 / बिहार बाल विकास सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2015 / बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 / बिहार बाल संरक्षण सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2017 / बिहार बाल विकास सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2017 एवं बिहार समेकित बाल विकास सांख्यिकी सहायक संवर्ग नियमावली, 2017 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(vii) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री श्रवण कुमार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-40(3) के तहत् संकल्प संख्या-976, दिनांक-06.02.14 / अधिसूचना संख्या-5388, दिनांक-20.10.17 / अधिसूचना संख्या-4109, दिनांक-18.08.17 / अधिसूचना संख्या-3614, दिनांक-25.07.17 एवं संकल्प संख्या-1239, दिनांक-09.03.18 द्वारा निर्गत विभागीय नियमावली, अधिसूचना एवं मार्गदर्शिका की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(viii) माननीय सभापति राजकीय आश्वासन समिति श्री अजय कुमार मंडल द्वारा समिति का 246वाँ, 259वाँ, 263वाँ एवं 264वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[2] <u>विधायी कार्य</u> :-

<u>राजकीय विधेयक</u> :-

''<u>बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018</u>''

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा दिये गये किसी संशोधन को मूव नहीं किया गया ।

तदुपरान्त सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

तदुपरान्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 सदन से स्वीकृत हुआ ।

[3] <u>निवेदन</u> :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 39 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक-03 अप्रील, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-02.04.2018

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।